न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

उनवानी प्रकरण श्रीमती पदमावती वगै0 बनाम उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ वगै0 किस्म मुन्तकिल प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 15/76/25 रजू दिनाक 25/04/25

30.04.2025:–

आज यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र वास्ते सुनवाई का क्षेत्रा अधिकार पर बहस सुने जाने हेतु नियत है। विद्ववान वकील द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में विचाराधीन उनवानी प्रकरण संख्या 03/2007 (24/2009) रूकमणी बनाम इन्द्रमल को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है। विद्ववान वकील प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है, कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में विचाराधीन उनवानी प्रकरण रूकमणी बनाम इन्द्रमल में वर्णित आराजी वाके ग्राम निमेडा तहसील किशनगढबास के अन्तर्गत आती है, पूर्व में मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन था, पक्षकारान द्वारा एक मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष पेश किया गया था, जिस पर मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में विचाराधीन राजस्व वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को वास्ते सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया गया। पूर्व में तहसील किशनगढबास जिला अलवर के अन्तर्गत लगती थी, वर्तमान में खैरथल–तिजारा नव जिला सर्जित हो चुका है। प्रार्थीगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ आने जाने में काफी परेशानी होती है, अत प्रकरण की पत्रावली को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से तलब कर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिला खैरथल–तिजारा की अन्य किसी भी तहसील में पत्रावली को मुन्तकिल करने के आदेश प्रदान किये जावे।

विद्ववान वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ में विचाराधीन उनवानी प्रकरण संख्या 03/2007 (24/2009) रूकमणी बनाम इन्द्रमल को दीगर राजस्व न्यायालय को मुन्तकिल किये जाने हेतु पेश किया गया है। उपखण्ड क्षेत्र लक्ष्मणगढ जिला अलवर के अन्तर्गत आता है, प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है प्रार्थना –पत्र मुन्तकिल खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र
सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होने के कारण खारिज किया जा
है, प्रार्थना–पत्र निर्णय शुमार हो। नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमी
दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खु
न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज.)
खैरथल–तिजार